Vol 3 Issue 5 Nov 2013

Impact Factor : 1.9508 (UIF)

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidisciplinary Research Journal

GoldenResearch Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 1.9508 (UIF)

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Golden Research Thoughts
Volume-3, Issue-5, Nov-2013
ISSN 2231-5063

Available online at www.aygrt.isrj.net

सूचना का लोकतांत्रीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम और ग्रामीण जनता

अमृत कुमार
शोधार्थी, पी–एच.डी. जनसंचार संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र म.गा.अ.हि.वि. वर्धा महाराष्ट्र

सारांशः सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में एक लोकतांत्रिक प्रयास है। विकास हेतु सूचना अनिवार्य तत्व है अतः सूचना के लोकतांत्रीकरण के लोकतांत्रिक प्रयास को बहुमत के बजाए सर्वमत के विश्वास की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी– लोकतांत्रीकरण, फीडबैक, बहुमत, सर्वमत, प्रत्यक्ष

प्रस्तावनाः

मानव समाज ने आदिकाल से अबतक विभिन्न शासन तंत्रों का अनुभव किया है। प्रत्येक शासन तंत्र का समय–समय पर आगमन तत्कालिन परिस्थितियों के कारण संभव हुआ। वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण है जनता द्वारा शासक वर्ग का निर्धारित अवधी के लिए चयन। लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। लोकतांत्रिक शासन में जनहित सर्वोपरी होता है तथा सारे कानून जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक सूचना शक्ति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। संचार माध्यमों तक अधिकाधिक पहूंच वाला समाज अन्य समाज के मुकाबले विकास की राह में आगे रहा है। राजतंत्र में सूचता प्राप्त करने का अधिकाधिक उद्देश्य शासक वर्ग की सत्ता को बनाए रखना था। वहीं लोकतंत्र स्थापना के बाद सूचना प्राप्ति का उद्देश्य जनहित है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सिद्धातों के अनुसार जनता के द्वारा शासन चलाया जाता अतः जनता को सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होना परम आवश्यक है। भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों की जनता में चेतना का स्तर एक समान नहीं है, इसका एक कारण लोकतांत्रिक सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं कर पाना है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों की सूचना माध्यमों तक पहूंच शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम है। विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों, योजनाओं से संबंधित प्रावधानों की सही जानकारी का ग्रामीण जनता तक न पहूंच पाना ग्रामीण विकास की राह में सबसे बाधक तत्व है। भारत सरकार ने सूचना को प्राप्त करना एक अधिकार अधिनियम के रूप में वर्ष 2005 से देश भर में लागू किया।

भारतीय लोकतंत्र और सूचना का लोकतांत्रीकरण–

लोकतंत्र के संबंध में सर्वमान्य परिभाषा है 'जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित तंत्र लोकतंत्र है।' सभी जनता एक साथ शासन में भाग नहीं ले सकती अतः जनता अपने प्रतिनिधि को शासन के लिए चुनती है। प्रतिनिधि बहुमत से चुना जाता है और यह मान लिया जाता है कि क्षेत्र विशेष में शासन लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो यह तथ्य सामने आता है कि बहुमत प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि वास्तविक रूप में क्षेत्र विशेष की सभी जनता को एक समान स्वीकार्य नहीं होता। प्रतिनिधि को प्रत्येक पांच साल बाद चुनाव मैदान में चुनाव का सामना करना पड़ता है और प्रतिनिधि चुनाव में विजयी होने हेतु वोट बैंक की राजनीति शुरू करता है। वोट बैंक की राजनीति असमान विकास को जन्म देती है। इस असमान विकास में सूचनाओं का असमान रूप से वितरण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाने की भयावहता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 'बिहार के एक गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम पाने के लिए आवेदन करने गए मजदूरों से कुछ जालसाजों ने 100 रु. रजिस्ट्रेशन शूल्क वसूल रहे थे। जबकि इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मूफ्त में किया जाता है।' ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सही जानकारी न होने के कारण जनता लोकतंत्र में भी शोषण का शिकार हो जाती है। लोकतंत्र स्थापना के बाद भी जन समस्या मौजूद है। जन समस्या के मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण है 'भारतीय लोकतंत्र का द्वारा सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को पूरा न कर पाना। लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करें तो यह पूरी तरह जनता के लिए समर्पित नजर आता है। परंतु जब हम लोकतंत्र के वास्तविक व्यवहार की पड़ताल करते हैं तब, यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र सभी जनता के लिए समान रूप से समर्पित नहीं है।

लोकतंत्र एक शासन प्रणाली तथा लोकतांत्रीकरण एक प्रक्रिया। लोकतंत्र शासन प्रणाली अपना लेने मात्र से ही लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया का एक चरण मात्र है। लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया तबतक पूरी नहीं हो सकती जबतक सिद्धांत और व्यवहार के बिच का अंतर खत्म न हो जाए। लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूचना। और जबतक सूचना का लोकतांत्रीकरण नहीं होगा तबतक सच्चे अर्थो में लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अतः सूचना का लोकतांत्रीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है।

लोकतंत्र में सामान्यतः सूचनाओं को जनता तक पहूंचाने का कार्य मीडिया के विभिन्न माध्यम करते हैं। अतः प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। समय के साथ प्रेस के उद्देश्य बदले और प्रेस के उपर भी सूचनाओं को रोकने व इमानदारी से प्रकाशित नहीं करने से संबंधित आरोप लगे। वर्तमान समय में मीडिया के उपर जातिवाद, क्षेत्रवाद, मुनाफाखोरी आदि आरोप आम हो गए हैं। सूचना की आवश्यकता को समझते हुए वर्तमान समाज के इंटरनेट उपयोग करने वाले वर्ग ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया का उपयोग इस तेजी से बढ़ा की स्थापित जनमाध्यमों ने भी सोशल मीडिया की खबरों को महत्व देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का आगमन सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में काफि महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया ने फीडबैक की अवधारणा को लोकतांत्रीक दिशा प्रदान किया। अपनी तकनीकि सीमाओं के कारण सोशल मीडिया का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में एक ऐसे कानून की जरूरत सभी को महसूस हो रहीं थी जिसकी मदद से सूचना प्राप्त करना काफि आसान हो जाए तथा सूचना प्राप्ति का तरीका भी काफी सरल हो। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्र शिक्षित आम जनता व ऐसी सूचना की पारदर्षिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। अतः भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे अधिकार अधिनियम की अपेक्षा कर रहा था, जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्ति में पारदर्शिता को लाया जा सके।

आम जनता के लिए सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधिन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना प्राप्ति का अधिकार है। यह अधिनियम सूचना प्राप्त करने से संबंधित अधिकारिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम के धारा 3 के अनुसार सूचना प्राप्त करने का अधिकार आम आदमी को समानता के आधार पर प्राप्त होता है। अधिनियम के धारा 6 के अनुसार आवेदक को सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क देना होता है। आवेदन की भाशा स्वीकृत क्षेत्रीय भाशा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता किन

अमृत कुमार ,"सूचना का लोकतांत्रीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम और ग्रामीण जनता"
Golden Research Thoughts Vol-3, Issue-5 (Nov 2013): Online & Print

Impact Factor : 1.9508(UIF)

कारणों से सूचना प्राप्त करना चाहता है यह पूछना निशेध है। आवेदनकर्ता को अपने संपर्क सूत्र की जानकारी देना अवश्य वांछित है ताकि सूचना संप्रेशण के लिए संपर्क किया जा सके। धारा 7 के अंतर्गत अगर सूचना की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंध रखती है, तब ऐसी स्थिति में सूचना को 48 घंटों के भीतर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसी सूचना जो देश की सत्यनिश्ठा, एकता, सुरक्षा, गौरव, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों, विदेशी राज्य से संबंध को प्रतिकूल करे या जिसमें अपराधों को प्रोत्साहन मिलता हो, वहां अधिनियम के धारा 8 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने से छूट का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय का अपमान करने वाली सूचना को प्रदान किया जाना भी निशिद्ध किया गया है।

मीडिया जनता तक सूचना वितरण करने का काम करती है। लेकिन क्या यह वितरण लोकतांत्रिक है? वर्तमान समय में इसपर बहस जारी है। अबतक हुए विभिन्न बहस व चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी से संबंधित समस्याओं को सामने लाने व समस्या समाधान करवाने में मीडिया अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरा है। यहां तक कि मीडिया पर सूचनाओं को निश्पक्ष रूप से न प्रदर्शित करने का आरोप भी लगने लगा है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। मीडिया प्रत्येक नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संवैधानिक रूप से प्रत्येक नागरिक को सूचना उपलबध करवाने के लिए बाध्य है।

सूचना अधिकार अधिनियम को कानूनी रूप से काफि सरल बनाया गया है लेकिन जब यह योजना धरातल पर उतरी तब इसके कार्यान्वयन में खामियों की खबर आने लगी। सूचना समय पर प्राप्त न होना व सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने लगी। किसी भी कानून की सफलता के लिए जनता को उस कानून की जानकारी होना, जनता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उस कानून का उपयोग करना व कानून का कार्यान्वयन प्रावधानों के अनुरूप होना पर निर्भर करता है। सूचना के लोकतांत्रीकरण के लिए सूचना से संबंधित कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार नागरिक द्वारा कानून का प्रयोग भी आवश्यक है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है अतः सूचना का लोकतांत्रीकरण ग्रामीण जनता की सूचना प्राप्ति में सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

ग्रामीण समाज व ग्रामीण जनता–

गांव में सूचनाओं का प्रसार बड़ी तेजी से होता है। सूचना प्राप्ति से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं में सबसे प्रभावी संकल्पना है "विश्व ग्राम" की संकल्पना। यह सच है कि ग्रामीण समाज में सूचना का प्रसार तेजी से होता है लेकिन, जब हम सूचनाओं की प्रकृती पर ध्यान देंगे तो हम पाते हैं कि सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के प्रसार की गति ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। पुनः कानूनों का लाभ भी शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले ज्यदा उठाते हैं।

ग्रामीण समाज परस्पर सहभागिता पर आधारीत होता है अतः समाज के अंतर्गत रह रही ग्रामीण जनता को आपस में हर किसी से संबंधित जानकारी होती है। सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण समाज को कुछ संसोधनों के बाद एक मॉडल की तरह है माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत अशिक्षा ज्यादा है इस कारण मीडिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रिंट माध्यम ग्रामीण समाज के अनपढ़ जनता तक प्रत्यक्ष तौर पर सूचना पहुंचाने में असमर्थ हैं। पुनः निर्धनता के कारण टेलीविजन व इंटरनेट माध्यम से सूचना प्राप्त कर पाना भी ग्रामीण जनता के लिए आसान नहीं है। कुल मिलाकर अगर मीडिया के आधुनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ आर्थिक व्यय अनिवार्य सा हो गया है। ऐसे में सूचना के लोकतांत्रीकरण का फैलाव ग्रामीण समाज और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जनता तक हो पाना लगभग असंभव सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बिना शुल्क सूचना प्रदान कराने का प्रावधान दिया गया है। इतना ही नहीं अनपढ़ लोगों के लिए मौखिक सुविधा भी प्रदान की गई है।

परंपरागत ग्रामीण समाज आत्मनिर्भर होता है अतः बाहरी समाज से सूचना प्राप्त करने में यह समाज अपेक्षाकृत उदासीन होता है। लेकिन धीरे–धीरे ग्रामीण समाज की परंपरागतता में कमी आयी है, क्योंकि अगर हम जनजातीय समाज को छोड़कर बात करें तो वर्तमान ग्रामीण समाज पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं रहा। लोकतंत्र स्थापना के बाद सरकार ने लोक कल्याणकारी योजना का निर्माण करना शुरू किया, लेकिन योजनाएं पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इसके कई कारण हैं जिनमें से एक कारण है योजनाओं के बारे में सूचना का वितरण समान रूप से न हो पाना। ग्रामीण जनता को सूचना प्राप्ति के क्षेत्र में पिछड़ने का खामियाना भुगतना पड़ा और ग्रामीण जनता शहरी जनता के मुकाबले आर्थिक विकास में पिछड़ने लगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होने व गरीब जनता के लिए विशेश प्रावधान होने के बावजूद भी अगर ग्रामीण जनता तक सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं है तो यह, सूचना के लोकतांत्रीकरण की दिशा में बाधक तत्व है। सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया काफि महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यप्रणाली ही यह तय कर सकेगा की सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तविक अर्थो में लोकतांत्रीक है भी या नहीं और यह ग्रामीण जनता द्वारा कितना स्वीकार्य है तथा ग्रामीण जनता के लिए कितना लाभकारी है।

साहित्य पुनरावलोकन–

साहित्य पुनरावलोकन के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा निम्न पुस्तकों का अध्ययन किया गया है–

श्रीनिवास एम.एन., भारत के गांव, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2004– प्रस्तुत पुस्तक में भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण समाज की जानकारी प्रदान की गई है। शोध–पत्र हेतु ग्रामीण समाज की संरचना की जानकारी पुस्तक से ली गई है।

शर्मा डॉ. कृश्ण कुमार, मानवाधिकार विश्वकोश, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011– प्रस्तुत पुस्तक के विभिन्न खंडों में मानवाधिकार और समाज के बारे में जानकारी दी गई है। इस विश्वकोश के 6ठें भाग से सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी शोध–पत्र हेतु ली गई है।

काश्यप सुभाश, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2010– पुस्तक में भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। शोध–पत्र हेतु विधिक तथ्यों की जानकारी पुस्तक से ली गई है।

शोध का उद्देश्य–

1.ग्रामीण जनता में सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी के स्तर को ज्ञात करना।

2.सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में सूचना का अधिकार अधिनियम की भूमिका का अध्ययन करना।

उपकल्पना–

1.सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमावली की जानकारी ग्रामीण जनता तक नहीं है।

2.सूचना का अधिकार अधिनियम के सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर है।

शोध अध्ययन क्षेत्र–

शोधार्थी द्वारा बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के दो गांवों को अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है। गांवों का नाम क्रमशः पुपरी व विश्वनाथपुर है।

शोध प्रविधियां–

शोधार्थी द्वारा निम्न शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है–

1.अनुसूची प्रविधि– गांव में निवास कर रहे नागरिकों से अनुसूची प्रविधि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है।

2.साक्षातकार प्रविधि– गांव से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से साक्षातकार लिया गया है।

3.अवलोकन प्रविधि– गांव से संबंधित प्रखंड कार्यालय के सूचना कार्यालय की कार्यशैली का अवलोकन किया गया है।

4.बहुस्तरीय निदर्शन प्रविधि– इस प्रविधि का प्रयोग कर शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन हेतु ग्राम का चयन किया गया है।

अनुसूची माध्यम से प्राप्त उत्तरों की प्रस्तुती–

शोधार्थी द्वारा चुने गए ग्राम के अंतर्गत अनुसूची माध्यम से प्राप्त उत्तरों की प्रस्तुती निम्न है–

उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण–

क्रम सं.	गांव	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	पुपरी	0	0	25	50	25	50
2	विश्वनाथपुर	0	0	25	50	25	50
कुल योग		0	0	50	100	50	100

उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की प्रस्तुती–

1.क्या आप किसान हेल्प लाइन नं. का प्रयोग करते हैं?

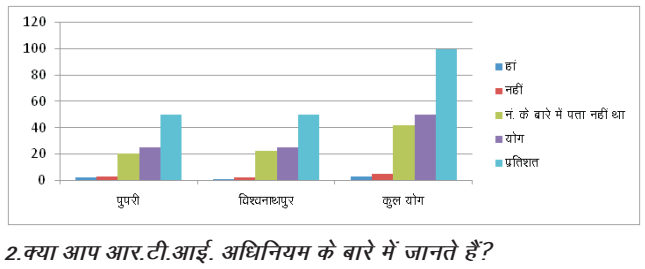

2.क्या आप आर.टी.आई. अधिनियम के बारे में जानते हैं?

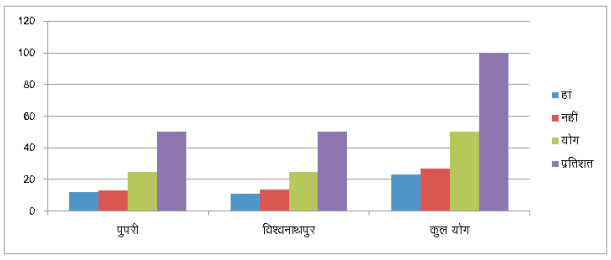

अगर हां, तो क्या आपने इसका प्रयोग किया है?

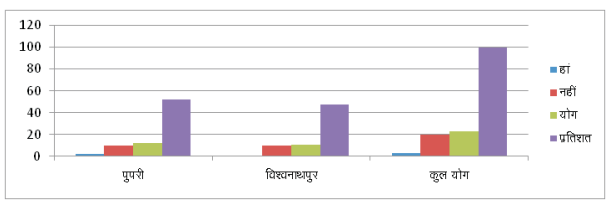

परिणाम–

अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों का परिणाम निम्न है–

उपरोक्त ग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह किसान हेल्प लाइन नं. के बारे में नहीं पता, मात्र 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को किसान हेल्प लाइन नं. के बारे में पता है। आर.टी.आई. अधिनियम के बारे में कुल 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी थी तथा कुल 54 प्रतिशत को अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं थी। कुल 46 प्रतिशत उत्तरदाता जिनके पास अधिनियम की जानकारी थी में से मात्र 13 प्रतिशत ने अधिनियम का प्रयोग किया था तथा कुल 87 प्रतिशत ने अधिनियम का प्रयोग नहीं किया।

निष्कर्ष–

सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक कदम है। जब तक प्रत्येक जनता को इस अधिनियम की जानकारी नहीं मिल जाती तथा आवश्यकतानुसार जनता इसका प्रयोग कर लाभान्वित नहीं हो जाती जब तक सच्चे अर्थों में सूचना का अधिकार अधिनियम से, सूचना का लाकतांत्रीकरण संभव नहीं है। ग्रामीण जनता के पास उनके व्यवसाय से संबंधित सूचना समय पर नहीं मिल पाती। ग्रामीण कृशक समाज के पास किसान हेल्प लाइन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। सूचना के लोकतांत्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है।

सुझाव–

1.सूचना के लोकतांत्रीकरण हेतु सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संचार माध्यमों के साथ परंपरागत संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए।
2.ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व आथिक विकास पर सरकार द्वारा व्यावहारिक प्रयास किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1.श्रीनिवास एम.एन., भारत के गांव, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2004
2.चोपड़ा लक्ष्मेन्द्र, मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन प्रा.लि. पंचकूला,हरियाणा, 2006
3.सेन अमर्त्य, भारत विकास की दिशाएं, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2009
4.त्रिखा डॉ. नन्दकिशोर, प्रेस विधि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2009
5.काश्यप सुभाश, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2010
6.शर्मा डॉ. कृष्ण कुमार, मानवाधिकार विश्वकोश,भाग 6, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011
7.सिंह डॉ. बैजनाथ, सामुदायिक ग्रामीण विकास, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2011
8.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, 2011
9.प्रसाद डॉ. नर्मदेश्वर, मानव व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्थाएं, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2012

अमृत कुमार
शोधार्थी, पी–एच.डी. जनसंचार संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र
म.गा.अ.हि.वि. वर्धा महाराष्ट्र

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net